न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

बिदामी बनाम कानूराम

केस संख्या : 69/19 TR

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11/5/23	पत्रावली प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में अंतिम बहस दिनांक 5/5/23 को सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र आज्ञा आदेश हेतु नियत है। प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक विवादित आराजी भूमि का बेचान न करें एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली हो एवं पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 11/5/23 सहायक कलक्टर आमेर प्र. जयपुर

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर,

मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुनील शर्मा

आर.ए.एस.

नियमित प्रा. पत्र संख्या –69 / 2019 प्रार्थना पत्र प्रस्तुति दिनांक –27.06.2019

बिदामी देवी पत्नी श्री रामेश्वर लाल जाट पुत्री श्री मोतीराम जाट जाति जाट निवासी ग्राम नांगल सिरस तहसील आमेर जिला जयपुर हाल निवासी सालगराम मंदिर मौहल्ला, ग्राम देवगुढा तहसील आमेर जिला जयपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. कालूराम जाट पुत्र हनुमान सहाय जाति जाट निवासी ग्राम नांगल की सिरस तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।
3. उप पजीयक कार्यालय आमेर जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :–

1. श्री बनवारी शर्मा – अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री भगवान सहाय शर्मा – अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से

दिनांक 11.05.23

निर्णय

हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अंकित किया है कि वाके राजस्व ग्राम नांगल सिरस तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित भूमि साबिक खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2073 से 2076 में खसरा नम्बर 665 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नंबर 679 / 845 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 690 / 846 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नंबर 691 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 780 रकबा 0.17 हैक्टेयर, कुल किता 5 कुल रकबा 1.19 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उपरोक्त भूमि प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त है, जिसे उक्त प्रार्थना पत्र विवादग्रस्त के नाम से सम्बोधित किया गया है। भूमि विवादग्रस्त प्रार्थिया के पिता मोतिया उर्फ मोतीराम पुत्र लछमना उर्फ लक्ष्मण के कोई पुत्र नहीं होने के कारण प्रार्थिया ही उनकी सेवासुश्रुषा करती चली आ रही थी। प्रार्थिया के पिता मोतिया उर्फ मोतीराम पुत्र लछमना उर्फ लक्ष्मण की मृत्यु दिनांक 14–7–2019 को एवं प्रार्थिया की माता मु0 कैसर देवी पत्नी मोतिया उर्फ मोतीराम का देहांत दिनांक 13–02–1962 को हो जाने के पश्चात प्रार्थिया ही उनकी एकमात्र जायदा विधिक उत्तराधिकारी रही है, और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मोतिया उर्फ मोतीराम पुत्र लक्ष्मणा उर्फ लक्ष्मण की मृत्यु होने पश्चात उनके हिस्से की भूमि की काबिज मालिक स्वामी है। अप्रार्थी संख्या 1 ने

सहायक कलेक्टर

Scanned with CamScanner

दिनांक 13–6–1994 को बिना प्रतिफल अदायगी एवं बिना मोतिया उर्फ मोतीराम पुत्र लछमना उर्फ लक्ष्मण की जानकारी से जो नुमाईशी विक्रय पत्र अपने पक्ष में तहरीर करवाया है वह कानूनन अवैध है, तथा बमुकाबले प्रार्थीया क्लेदम व बेअसर है। उक्त अवैध विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थीया के विधिक अधिकारों पर कोई विपरित असर नहीं पड़ता है। प्रार्थीया अपने पिता से प्राप्त विरासतन खातेदारी कृषि भूमि को प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है। क्योंकि प्रार्थीया ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मोतिया उर्फ मोतीराम पुत्र लछमना उर्फ लक्ष्मण की प्रथम श्रेणी की एकमात्र विधिक वारिस है। प्रार्थीया के पिता श्री मोतिया उर्फ मोतीराम पुत्र लक्ष्मणा उर्फ लक्ष्मण की मृत्यु दिनांक 14–7–2019 को हो गई है। प्रार्थिया उक्त भूमि पर निर्विवाद रूप से काबिज काश्त है। प्रार्थिया स्व. श्री मोतिया उर्फ मोतीराम पुत्र लक्ष्मणा उर्फ लक्ष्मण की पुत्री है। हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम वरियता की वारिसान है और आराजी जैर कृषि भूमि में प्रार्थिया का हक निहित है। इस कारण से अप्रार्थी को पाबंद किया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की विधिवत तलवी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब अरथाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जवाब में मदवार अंकित कर कथन किया की प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तहरीर, तकमील किया गया है जो गलत होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीगण को उक्त वादपत्र में सफलता की आशा करना व्यर्थ होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 2 में उल्लेखित साविक खसरा नम्बरान 369, 374, 376, 402, 403, 405, 408, 411, 431 कुल किता 09 कुल रकबा 15 बीघा 14 बीस्वा वाके ग्राम सिरस की नांगल हाल ग्राम नांगल सिरस तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित होना स्वीकार है उक्त भूमि का संवत् 2010 से 2023 में प्रथम खतौनी बंदोबस्त मोतिया, गंगोलिया व उनमानिया के पर्चा जारी हुआ था। उक्त भूमि पर मोती पुत्र लक्ष्मणा वर वक्त सेंटलमेंट के काबिज होने के कारण पर्चा जारी हुआ था। उक्त भूमि पर लक्ष्मणा का काबिज होने का तथ्य असत्य है। चूंकि लक्ष्मणा वर्ष 1945 में फौत हो चुका था। इसलिए प्रथम बार का सेंटलमेंट मोती पुत्र लक्ष्मणा के ही उक्त आराजीयात में 1/3 हिस्से का जारी हुआ था। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 7 में वर्णित तथ्य असत्य होने के कारण अस्वीकार है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी सख्या दिनांक 13–6–1994 से काबिज काश्त होकर उपभोग व उपयोग करता आ रहा है तथा लगान सरकारी अदा करता आ रहा है। मोतिया उर्फ मोतीराम का उक्त भूमि पर काबिज काश्त व उपयोग व उपभोग का तथ्य मनगढंत एवं असत्य है। इस प्रकार मोतिया उर्फ मोतीराम का दिनांक 13–6–1994 के पश्चात् उक्त भूमि से किसी प्रकार से संबध व सरोकार नहीं रहा ना ही प्रार्थीया का रहा है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 10 में वर्णित तथ्य गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। उक्त मद में उल्लेखित तथ्यों में प्रार्थीया का किसी प्रकार से कानूनन विरासती खातेदारी अधिकार निहित नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 11 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से उल्लेखित किये गये है सही नहीं है। प्रार्थीया स्वर्गीय श्री मोतिया उर्फ मोतीराम पुत्र लक्ष्मणा उर्फ लक्ष्मण की पुत्री होने का तथ्य स्वीकार है। किंतु उक्त संपत्ति का मोतिया उर्फ मोतीराम के नाम प्रथम बार पर्चा खतौनी संवत 2011 से 2023 में जारी हुई है। इस प्रकार उक्त भूमि मोतिया उर्फ मोतीराम की स्वअर्जित संपत्ति है जिसे मोतिया उर्फ मोतीराम ने दिनांक 13–6–1994 को अप्रार्थी संख्या 1 से वैध प्रतिफल राशि प्राप्त कर विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है। इसलिए हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त भूमि में कानूनी रूप से किसी प्रकार से प्रार्थीया का हक व हिस्सा निहित नहीं है।

सहायक कलक्टर आमेर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया गया गया अप्रार्थीगण की विधिवत तलवी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश किया गया ।उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र व बहस के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया का मुख्य रूप से कथन रहा की विवादग्रस्त भूमि उनकी पुश्तैनी भूमि है। प्रार्थिया के पिता व माता का देहांत हो गया है, प्रार्थिया उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी है। दिनांक 13–6–1994 को प्रार्थिया के पिता के पिता अनपढ ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति होने के कारण एक नुमाईशी विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया, जो बेमुकाबले प्रार्थिया कलेदम व बेअसर है, जिससे प्रार्थिया के अधिकारों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है। अप्रार्थी का मुख्य रूप से यह कथन रहा कि उनके द्वारा भूमि प्रार्थिया के पिता से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13–6–1994 को क्रय की है। क्रय करने के दिन से निरंतर काबिज रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी का यह कथन रहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 6 में संशोधन वर्ष 2005 में हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त संशोधन से पूर्व दिनांक 20–12–2004 तक हुए किसी अंतरण को हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 प्रभावित नहीं करेगा।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कथनों से यह स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि प्रार्थी की पैतृक संपत्ति है जिसमें प्रार्थी का प्रथम दृष्टतया हित निहित है अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाने में सुविधा का संतुलन है वाद के विचाराधीन रहते हुए अप्रार्थी द्वारा वाद ग्रस्त भूमि का बेचान किये जाने की स्थिति में अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी को होने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2016(2) आर. आर. टी. पेज 1084 में माननीय राजस्व मंडल द्वारा यह सिंद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि वाद के निस्तारण तक संपत्ति की सुरक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है। माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित उक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि का बेचान न करे तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Scanned with CamScanner